हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001–2015 प्रमाणित संस्थान)

आदेश क्रमांक 3549/सम्बद्धता दिनांक 22/7/19

विषय :– सम्बद्धता प्रवास प्रमाण–पत्र (Affiliation Migration Certificate) जारी करने बारे।

सम्बद्धता शाखा के पत्र क्रमांक 7580/सम्बद्धता/2013–14 दिनांक 15.11.2013 के तहत तक्षशीला विद्यापीठ एम0पी0 माजरा, झज्जर विद्यालय कोड–7580 को शिक्षा विभाग द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर कक्षा सीनियर सैकेण्डरी तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। विद्यालय के अनुरोध पर कक्षा सीनियर सैकेण्डरी तक निम्नलिखित शर्तों अनुसार सम्बद्धता प्रवास प्रमाण–पत्र (Affiliation Migration Certificate) जारी किया जाता है:–

1. आपका विद्यालय सी0सैकेण्डरी स्तर तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। आपके विद्यालय को प्रवास प्रमाण–पत्र (Affiliation Migration Certificate) सी0 सैकेण्डरी कक्षा के लिए जारी किया जाता है। यदि आपके विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 या अन्य बोर्ड से कक्षा सी0 सैकेण्डरी तक सम्बद्धता प्राप्त हो जाती है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी दोनों कक्षाओं की स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता (Withdrawal/Termination of Affiliation) समाप्त कर दी जाएगी।
2. प्रवास प्रमाण–पत्र (Affiliation Migration Certificate) सीनियर सैकेण्डरी कक्षा तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय को जारी किया जाता है, परन्तु आपके विद्यालय को सी0बी0एस0ई0/अन्य बोर्ड से केवल सैकेण्डरी तक ही सम्बद्धता प्राप्त होती है तो उस अवस्था में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी की स्थायी सम्बद्धता भी समाप्त कर दी जायेगी।
3. बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 22.07.2019 को सम्बद्धता प्रवास प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है तथा इसी तिथि से आपके विद्यालय की स्थायी सम्बद्धता समाप्त कर दी गई है तथा आपका विद्यालय अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सूची में शामिल हो गया है।
4. आपके विद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सूची में अधिकतम दो शैक्षिक वर्षों तक रखा जाएगा तदोपरान्त स्वतः अस्थायी सम्बद्धता समाप्त हो जाएगी। यदि निर्धारित दो वर्ष की अवधि तक आपके विद्यालय को सी0बी0एस0ई0/अन्य बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्रत्येक वर्ष तक अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने हेतु बोर्ड कार्यालय को अस्थायी सम्बद्धता शुल्क तथा आवेदन पत्र जमा करवाना होगा तथा इसके साथ एक शपथ–पत्र भी देना होगा जिसमें सम्बद्धता प्रवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा शपथ–पत्र जमा करवाने की तिथि तक सी0बी0एस0ई0/अन्य बोर्ड से आपके विद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है।
5. सी0बी0एस0ई0/अन्य बोर्ड द्वारा सम्बद्धता देते समय कक्षा सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी के परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए जो अवधि स्टेट बोर्ड (हरियाणा शिक्षा बोर्ड) से परीक्षार्थियों को अपीयर करवाने के लिए निर्धारित की जायेगी उसी अवधि तक ही परीक्षा दिलवाने के पात्र होंगे तथा उस अवधि के दौरान आपके विद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सूची में ही रखा जाएगा, इसके लिए निर्धारित शुल्क व शपथ–पत्र लिया जाएगा।
6. यदि NOC प्राप्त विद्यालय को निर्धारित दो वर्ष की अवधि में सी0बी0एस0ई0/अन्य बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त नहीं होती है तो उस अवस्था में विद्यालय NOC/प्रवास प्रमाण–पत्र को बोर्ड कार्यालय में समर्पण करके स्थायी सम्बद्धता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ (यानि वर्तमान में 20,000/–रूपये) के साथ आवेदन–पत्र जमा करवाएंगे।

22/7/19

सहायक सचिव (सम्बद्धता)

कृतेः सचिव